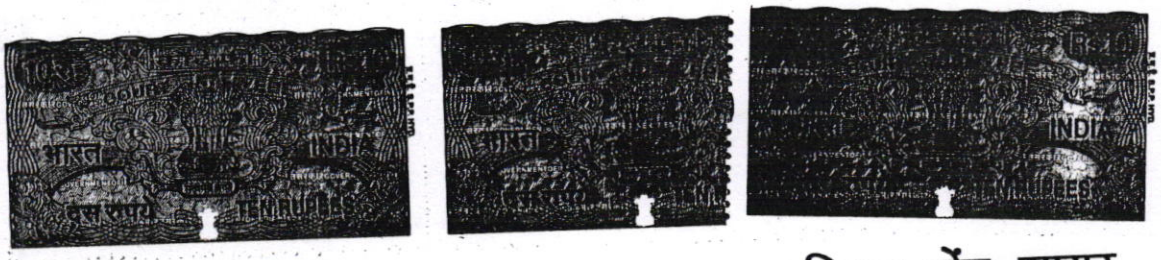

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैंप सागर

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/0632

सुगमचंद जैन पिता श्री खेमचंद जैन
निवासी ग्राम–मैहर,
तह0 व जिला–सागर(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

1.म0प्र0शासन
द्वारा–अपर कलेक्टर सागर
प्रभावित पक्षकारगणः–
2.अंबिका प्रसाद पिता लक्ष्मीप्रसाद
3.रामेश्वर प्रसाद पिता लक्ष्मीप्रसाद
4.ताराचंद तनय बाबूलाल जैन
सभी निवासी ग्राम मैहर
तह0व जिला सागर(म0प्र0) ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 0099/अ–6–अ/अपील/वर्ष2017–2018 में पारित आदेश दिनाँक 09.01.2018 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सागर के समक्ष आवेदक द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके भूमि स्वामी हक की भूमि ख0नं0 815 जिसका बंदोबस्त पूर्व ख0नं0497/1 रकवा 1.250हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी एवं आवेदक की भूमि से लगी हुई भूमि ख0नं0814 है जिसके बटांक क्रमशः 814/1एवं 814/2 है जो कि प्रभावित पक्षकार अनावेदक क्र01एवं उसकी बहन के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, आवेदक के ख0नं0815 के कुल रकवा में 0.11हे0 की कमि बंदोबस्त पश्चात् कर दी गयी है एवं लगे हुये ख0नं0814 के बंटांक नंबर 814/2 में रकवा की बेशी कर दी गयी है एवं नक्शा भी में बंदोबस्त पश्चात् त्रुटि कर दी गयी है जिसे दुरूस्त किया

दिलीप गोस्वामी
एडवोकेट
कार्या. एवं निवास भूतेश्वर मंदिर सागर (म.प्र.)
मो. - 9827432531,07582-286183

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/632 **जिला** – सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर.
06.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण नक्शा दुरुस्ती का है। अपर कलेक्टर के अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरा नं. 814/3 बन्दोबस्त पूर्व किसके नाम था एवं उसका कितना रकवा था एवं उस रकवे की पूर्ति किस खसरा नं. से होगी तथा आवेदक द्वारा भूमि का विक्रय तो नहीं किया गया है अथवा उस भूमि का भू–अर्जन होकर सड़क अथवा स्थायी संरचना का निर्माण तो नहीं हुआ है। उक्त कारणों से उन्होंने आवेदक द्वारा अपना दावा संदेह से परे सिद्ध करने में सफल न मानते हुए उसका अभिलेख दुरुस्ती का आवेदन निरस्त किया है। प्रकरउण के तथ्यों को देखने से अपर कलेक्टर का आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत होता है एवं अपर आयुक्त ने उनके आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	